# अध्याय-5

# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

# अध्याय-5

# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (स नि अ क) के वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए (या पिछले वर्षों के लेखे जिनको चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा सम्पादित इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (रा सा क्षे उ) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

## 5.1 सरकारी कम्पनियों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* चुकता अंश पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा निवेश की गई हो तथा इसमें वह कम्पनी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

## 5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के तहत सहपठित सी ए जी (कर्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सी ए जी सांविधिक लेखाकार को कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने की विधि पर दिशानिर्देश देता है। इसके अलावा, सी ए जी को कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों के निगमित कानूनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा केवल सी ए जी द्वारा की जाती है।

## 5.3 रा सा क्षे उ और राज्य के स रा घ उ में उनका योगदान

रा सा क्षे उ में राज्य सरकार की कम्पनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रिया कलापों को सम्पादित करने

[1] कम्पनीयाँ (कठिनाइयों को दूर करना), सातवां आदेश, 2014 गजट अधिसूचना दिनांक 4 नवम्बर, 2014 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।

हेतु रा सा क्षे उ की स्थापना की गई है एवं यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है। 31 मार्च 2023 को, उत्तराखण्ड में 33 रा सा क्षे उ थे, जिनमें चार[2] सांविधिक निगम और 28 सरकारी कम्पनियाँ (नौ निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों[3] सहित) और एक[4] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी (स नि अ क) शामिल थीं, जो सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थीं। इन रा सा क्षे उ के नाम ***परिशिष्ट-5.1*** में दिए गए हैं। रा सा क्षे उ में से कोई भी स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

राज्य में नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ (परिसमापन के अधीन सात शामिल है) हैं। इन निष्क्रिय रा सा क्षे उ में ₹ 36.19 करोड़ का निवेश है जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 12.31 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 9.54 करोड़ और अन्य: ₹ 2.77 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹ 23.88 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 5.15 करोड़ और अन्य: ₹ 18.73 करोड़) है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय रा सा क्षे उ में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं है।

रा सा क्षे उ के कारोबार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) से अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में रा सा क्षे उ की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। कार्यरत रा सा क्षे उ के टर्नओवर का विवरण ***परिशिष्ट-5.2*** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत रा सा क्षे उ का टर्नओवर और स रा घ उ **तालिका-5.1** में दिया गया है।

**तालिका-5.1: उत्तराखण्ड के स रा घ उ की तुलना में रा सा क्षे उ के टर्नओवर का विवरण**

***(₹ करोड़ में)***

| विवरण | 2020-21 | 2021-22♠ | 2022-23♥ |
|---|---|---|---|
| **टर्नओवर** | | | |
| विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 7735.80 | 8483.51 | 9936.49 |
| अन्य रा सा क्षे उ | 2324.25 | 2513.40 | 2513.40 |
| ***योग*** | ***10060.05*** | ***10996.91*** | ***12449.89*** |
| **उत्तराखण्ड की स रा घ उ** | 236860 | 272159 | 302621 |
| उत्तराखण्ड के स रा घ उ में टर्नओवर का *प्रतिशत* | | | |
| विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | **3.27** | **3.12** | **3.28** |
| अन्य रा सा क्षे उ | **0.98** | **0.92** | **0.83** |
| ***योग*** | ***4.25*** | ***4.04*** | ***4.11*** |

***स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड ♥अनंतिम अनुमान, ♠ संशोधित अनुमान।***

[2] उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम

[3] निष्क्रिय रा सा क्षे उ वे हैं जिन्होंने अपना संचालन करना बंद कर दिया है।

[4] उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

उत्तराखण्ड की स रा घ उ में रा सा क्षे उ का योगदान 2021-22 में 4.04 *प्रतिशत* की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 4.11 *प्रतिशत* हो गया। स रा घ उ में विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ का योगदान 2022-23 *में* 3.28 *प्रतिशत था।*

स रा घ उ में अन्य क्षेत्र के रा सा क्षे उ का योगदान यद्धपि न्यूनतम (0.92 से 0.83 *प्रतिशत* तक) था, लेकिन कर्मचारियों (स्थायी/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर) की संख्या 8,958[5] थी। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार का इन रा सा क्षे उ में ₹ 687.97 करोड़ (इक्विटी ₹ 334.23 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण ₹ 353.74 करोड़) का निवेश था। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड सरकार (उ स) द्वारा 2020-23 की अवधि के दौरान इनमें से नौ रा सा क्षे उ को ₹ 4,082.56 करोड़ के अनुदान और सब्सिडी प्रदान की गई।

## 5.4 रा सा क्षे उ में निवेश और बजटीय सहायता

### *5.4.1 रा सा क्षे उ में इक्विटी स्वामित्व और ऋण*

31 मार्च 2023 तक 21 कार्यरत रा सा क्षे उ (तीन[6] कार्यकारी कम्पनियों को छोड़कर, जहां राज्य सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था) में क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों सहित दीर्घकालिक ऋण **तालिका-5.2** में नीचे दिए गए हैं।

**तालिका-5.2: रा सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश**

| विवरण | निवेश[7] *(₹ करोड़ में)* | | | | | कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण का *प्रतिशत* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल इक्विटी | राज्य सरकार इक्विटी | कुल दीर्घकालिक ऋण | राज्य सरकार ऋण | कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण | |
| विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 3660.29 | 3655.29 | 4431.50 | 581.77 | 8091.79 | *90.49* |
| अन्य रा सा क्षे उ | 375.67 | 334.23 | 474.49 | 353.74 | 850.16 | *9.51* |
| ***योग*** | ***4035.96*** | ***3989.52*** | ***4905.99*** | ***935.51*** | ***8941.95*** | ***100*** |

*स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत और वित्तीय विवरण के अनुसार सूचना।*

रा सा क्षे उ में निवेश मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ पर था, जिसे 31 मार्च 2023 तक ₹ 8,941.95 करोड़ के कुल निवेश का 90.49 *प्रतिशत* (₹ 8,091.79 करोड़) प्राप्त हुआ था। कुल निवेश ₹ 8,941.95 करोड़ में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 55.08 *प्रतिशत* (₹ 4,925.03 करोड़) थी। इसके अतिरिक्त, रा सा क्षे उ में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रस्तर 2.6.3.2(ii) में भी चर्चा की गई है।

---

[5] इसमें चार रा॰सा॰क्षे॰उ॰ नामतः उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड में 6,800 कर्मचारी शामिल हैं।

[6] उत्तराखण्ड वन विकास निगम, सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड

[7] निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

### *5.4.2 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण*

वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यरत के साथ-साथ निष्क्रिय रा सा क्षे उ के विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण का कोई प्रकरण नहीं था।

## 5.5 रा सा क्षे उ से प्रतिफल

### *5.5.1 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ*

2022-23 में लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ[8] की संख्या 12 थी जो 2021-22 के समान थी। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 257.19 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 232.20 करोड़ हो गया।

शीर्ष तीन रा सा क्षे उ जिन्होंने अधिकतम लाभ का योगदान दिया, उन्हें **तालिका-5.3** में संक्षेपित किया गया है।

**तालिका 5.3: शीर्ष तीन रा सा क्षे उ जिन्होंने अधिकतम लाभ का योगदान दिया**

| रा सा क्षे उ का नाम | शुद्ध लाभ *(₹ करोड़ में)* | कुल लाभ पर रा सा क्षे उ लाभ का *प्रतिशत* |
|---|---|---|
| यूजेवीएन लिमिटेड | 117.76 | *50.71* |
| उत्तराखण्ड वन विकास निगम | 48.65 | *20.95* |
| किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड | 20.26 | *8.73* |
| ***योग*** | ***186.67*** | ***80.39*** |

***स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण* के अनुसार।**

अकेले इन तीन रा सा क्षे उ का 2022-23 के दौरान 12 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 232.20 करोड़) में 80.39 *प्रतिशत* योगदान था।

रा सा क्षे उ का शुद्ध लाभ अनुपात[9] **तालिका-5.4** में दर्शाया गया है।

**तालिका-5.4: रा सा क्षे उ का शुद्ध लाभ अनुपात**

***(₹ करोड़ में)***

| क्षेत्र | शुद्ध लाभ | टर्नओवर | शुद्ध लाभ अनुपात *(प्रतिशत में)* |
|---|---|---|---|
| विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | (-)1088.76 | 9936.49 | - |
| अन्य रा सा क्षे उ | 48.06 | 2513.40 | *1.91* |
| ***योग*** | ***(-)1040.70*** | ***12449.89*** | ***-*** |

***स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार***

### *5.5.2 रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान*

उत्तराखण्ड सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है जिसके अन्तर्गत रा सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रतिलाभ

[8] 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त लेखे।

[9] शुद्ध लाभ/टर्नओवर*100

का भुगतान करना अपेक्षित हो। रा सा क्षे उ द्वारा भुगतान किया गया लाभांश **तालिका-5.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका-5.5: रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान**

***(₹ करोड़ में)***

| वर्ष | विवरण | रा सा क्षे उ की संख्या जिन्होंने लाभांश घोषित किया | चुकता पूँजी | शुद्ध लाभ | घोषित लाभांश |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020-21 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 2 | 1941.65 | 178.56 | 45.01 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | - | - | - | - |
| | ***योग*** | ***2*** | ***1941.65*** | ***178.56*** | ***45.01*** |
| 2021-22 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 1 | 1372.68 | 121.86 | 30.00 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | - | - | - | - |
| | ***योग*** | ***1*** | ***1372.68*** | ***121.86*** | ***30.00*** |
| 2022-23 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 2 | 2120.38 | 134.88 | 25.01 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | - | - | - | - |
| | ***योग*** | ***2*** | ***2120.38*** | ***134.88*** | ***25.01*** |

***स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।***

वर्ष 2022-23 के दौरान, 12 रा सा क्षे उ, जिन्होंने अपने नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार लाभ अर्जित किया, में से केवल दो रा सा क्षे उ अर्थात् यूजेवीएन लिमिटेड और पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) ने लाभांश का भुगतान/घोषणा की। यूजेवीएन लिमिटेड और पिटकुल ने 2022-23 के दौरान अपनी प्रतिधारित आय के क्रमशः 1.50 *प्रतिशत* और 1.46 *प्रतिशत* की दर से लाभांश भुगतान/घोषणा की थी। अन्य 10 लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ में से किसी ने भी 2022-23 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

## 5.6 ऋण भुगतान

### *5.6.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात*

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व (ई बी आई टी) कम्पनी की आय को उसी अवधि के ब्याज के व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। रा सा क्षे उ जिन पर ब्याज का भार है का ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका-5.6** में नीचे दिया गया है।

**तालिका-5.6: रा सा क्षे उ का ब्याज व्याप्ति अनुपात**

| वर्ष | विवरण | ब्याज (₹ करोड़ में) | ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में) | सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले रा सा क्षे उ की संख्या | 1 से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या | 1 से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 246.94 | 308.32 | 3 | 2 | 1 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 58.85 | 6.15 | 9 | 4 | 5 |
| | ***कुल*** | ***305.79*** | ***314.47*** | ***12*** | ***6*** | ***6*** |
| 2021-22 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 280.12 | 464.13 | 3 | 3 | 0 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 59.14 | 54.01 | 9 | 5 | 4 |
| | ***कुल*** | ***339.26*** | ***518.14*** | ***12*** | ***8*** | ***4*** |
| 2022-23 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 380.20 | (-)666.83 | 3 | 2 | 1 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 59.14 | 54.01 | 9 | 5 | 4 |
| | ***कुल*** | ***439.34*** | ***(-)612.82*** | ***12*** | ***7*** | ***5*** |

***स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।***

2022-23 के दौरान, यह देखा गया कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित तीन रा सा क्षे उ, जिनमें ऋण की देयता थी, उनमें से दो का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक और एक का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। हालांकि, अन्य रा सा क्षे उ के प्रकरण में, जिनके पास ऋण की देयता है, केवल पांच रा सा क्षे उ का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था और शेष चार रा सा क्षे उ का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये रा सा क्षे उ ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रहे थे।

## 5.7 रा सा क्षे उ का वित्तीय प्रदर्शन

### *5.7.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल*

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर ओ सी ई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ई बी आई टी) को नियोजित पूँजी[10] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान आर ओ सी ई का विवरण **तालिका-5.7** में नीचे दिया गया है।

[10] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त आरक्षित और आधिक्य + दीर्घकालिक ऋण-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय।

**तालिका-5-7: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

| वर्ष | विवरण | ई बी आई टी *(₹ करोड़ में)* | नियोजित पूंजी *(₹ करोड़ में)* | आर ओ सी ई *(प्रतिशत में)* |
|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 308.32 | 5601.92 | *5.50* |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 69.91 | 370.82 | *18.85* |
| | ***कुल*** | ***378.23*** | ***5972.74*** | ***6.33*** |
| **2021-22** | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 464.13 | 5769.31 | *8.04* |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 119.81 | 366.14 | *32.72* |
| | ***कुल*** | ***583.94*** | ***6135.45*** | ***9.52*** |
| **2022-23** | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | (-)666.83 | 4475.66 | *(-)14.90* |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 120.76 | 366.08 | *32.99* |
| | ***कुल*** | ***(-)546.07*** | ***4841.74*** | ***(-)11.28*** |

***स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।***

2020-21 से 2021-22 की अवधि के दौरान यह देखा गया कि आर ओ सी ई सकारात्मक थी, हालांकि 2022-23 में यह ऋणात्मक थी। उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) में विद्युत् खरीद लागत अधिक होने से असाधारण हानि के परिणामस्वरुप ई बी आई टी एवं नियोजित पूँजी में कमी हुई, जिस कारण से 2021-22 की तुलना में 2022-23 में आर ओ सी ई कम हुई।

### *5.7.2 रा सा क्षे उ द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल*

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय प्रदर्शन का एक मापक है जिसमें यह गणना की जाती है कि कम्पनी की सम्पत्तियों का उपयोग लाभ सृजित करने हेतु कितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है। आर ओ ई की गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी में तभी की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएँ हैं।

2022-23 में, लाभ अर्जित करने वाले 12 कार्यरत रा सा क्षे उ की इक्विटी पर प्रतिफल[11] 5.07 *प्रतिशत* रहा। हानि में चल रहे सात रा सा क्षे उ सहित सभी 19[12] कार्यरत रा सा क्षे उ में समग्र आर ओ ई 2022-23 में ऋणात्मक था।

शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात् की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त सम्पत्तियां विक्रय एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो हितधारको

[11] इक्विटी पर प्रतिफल = (कर के बाद शुद्ध लाभ/अंशधारक की इक्विटी)X 100 जहां अंशधारक की इक्विटी + प्रदत्त पूँजी + मुक्त आरक्षित-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय।

[12] पांच रा सा क्षे उ को छोड़कर, जिनमें से तीन रा सा क्षे उ (सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड, एन आई सी डी सी, उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड और इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड) ने अपने लेखे जमा नहीं किए हैं और दो रा सा क्षे उ (देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड और किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड) का टर्नओवर शून्य है।

हेतु कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि कम्पनी के पास अपने दायित्व के निर्वाहन हेतु पर्याप्त सम्पत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारकों की इक्विटी का अर्थ है कि दायित्व सम्पत्ति से अधिक हैं।

कार्यरत रा सा क्षे उ से सम्बन्धित शेयरधारक निधि और आर ओ ई का विवरण **तालिका-5.8** में दिया गया है।

**तालिका-5.8: रा सा क्षे उ से सम्बन्धित इक्विटी पर वापसी**

| वर्ष | विवरण | शुद्ध आय (₹ करोड़ में) | शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में) | आरओई (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 26.81 | 1023.69 | *2.62* |
| | अन्य रा सा क्षे उ | (-)2.13 | (-)215.33 | - |
| | ***कुल*** | ***24.68*** | ***808.36*** | ***3.05*** |
| **2021-22** | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 138.45 | 1227.04 | *11.28* |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 47.28 | (-)219.23 | - |
| | ***कुल*** | ***185.73*** | ***1007.81*** | ***18.43*** |
| **2022-23** | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | (-)1088.76 | 44.16 | - |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 48.06 | (-)219.29 | - |
| | ***कुल*** | ***(-)1040.70*** | ***(-)175.13*** | ***-*** |

***स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।***

2020-21 और 2021-22 के दौरान, विद्युत क्षेत्र के दो[13] रा सा क्षे उ के लाभ प्रदर्शन के फलस्वरूप समग्र आर ओ ई सकारात्मक था। हालांकि, 2022-23 के दौरान आर ओ ई की गणना नहीं की जा सकी, क्योंकि रा सा क्षे उ की समग्र शुद्ध आय मुख्य रूप से एक रा सा क्षे उ अर्थात यू पी सी एल को वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 1,223.64 करोड़ की हानि के कारण ऋणात्मक थी।

### *5.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल की दर*

प्रत्येक वर्ष के अन्त में 31 मार्च 2023 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य (पी वी) पर लाने के लिए, रा सा क्षे उ में राज्य सरकार द्वारा पिछले निवेश/वर्षवार धन के निवेश को सरकारी ऋणों पर वर्षवार औसत ब्याज दर पर संयोजित किया गया है जिसे सम्बन्धित वर्ष के लिए सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए, राज्य सरकार निवेश के पी वी की गणना की गई, जहां राज्य सरकार ने परिचालन और प्रबन्धकीय व्ययों के लिए इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश किया था, यदि कोई हो *घटाया* : विनिवेश इन कंपनियों की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2023 तक।

रा सा क्षे उ में राज्य सरकार के निवेश की पी वी की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

[13] यू जे वी एन लिमिटेड और पिटकुल

- राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार द्वारा किया गया निधियों का निवेश माना गया है क्योंकि रा सा क्षे उ द्वारा ब्याज मुक्त ऋणों की कोई भी राशि नहीं चुकाई गई है। इसके अतिरिक्त, उन प्रकरणों में जहां रा सा क्षे उ को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋणों की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष[14] के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को पी वी पर लाने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे सरकार द्वारा वर्ष के लिए निधियों के निवेश हेतु वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

2001-02 से 2022-23 की अवधि के लिए 21 रा सा क्षे उ (तीन[15] रा सा क्षे उ को छोड़कर जहां राज्य सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था) में ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार की निधियों के निवेश की रा सा क्षे उ वार स्थिति ***परिशिष्ट-5.3*** में इंगित की गई है।

22 रा सा क्षे उ (दो[16] रा सा क्षे उ को छोड़कर) में सामान अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश के पी वी की समेकित स्थिति एवं कुल आय **तालिका-5.9** में नीचे दर्शाई गई है।

**तालिका-5.9: 2001-02 से 2022-23 की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पी वी) का वर्ष-वार का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण | वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण | परिचालन और प्रबन्धकीय व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान/ सब्सिडी | वर्ष के दौरान कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश | सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (% में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष[17] के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल | वर्ष के लिए कुल आय[18] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | ii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x | xi | xii |
| | | | | | | VII=III+IV +V+VI | viii=ii+vii | | x=viii* (1+ix/100) | xi=x-viii | |
| प्रा शे | | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 37.75 | | |
| 2001-02 | 37.75 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 55.95 | 8.36 | 60.63 | 4.68 | -30.78 |
| 2002-03 | 60.63 | 18.30 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 22.02 | 82.65 | 10.40 | 91.24 | 8.60 | -17.19 |
| 2003-04 | 91.24 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 14.93 | 106.17 | 8.51 | 115.21 | 9.04 | -48.12 |

[14] सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्ष के लिए राज्य वित्त (उत्तराखण्ड सरकार) पर सी ए जी की रिपोर्टों से अपनाई गई थी जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर + ब्याज भुगतान/ {(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2}*100

[15] उत्तराखण्ड वन विकास निगम, सिडकुल प्लास्टिक पार्क और एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड।

[16] सिडकुल प्लास्टिक पार्क और एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड।

[17] वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य घटाया: वर्ष के अंत में कुल निवेश।

[18] वर्ष के लिए कुल आय उन 22 रा सा क्षे उ से संबंधित नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार कुल शुद्ध आय (लाभ/हानि) दर्शाती है जहां राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था।

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 115.21 | 195.37 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 195.77 | 310.98 | 9.10 | 339.28 | 28.30 | -189.20 |
| 2005-06 | 339.28 | 263.90 | 9.72 | 0.00 | 1.88 | 275.50 | 614.78 | 7.47 | 660.70 | 45.92 | -135.13 |
| 2006-07 | 660.70 | 144.35 | -0.25 | 0.00 | 4.50 | 148.60 | 809.30 | 7.79 | 872.35 | 63.04 | -178.02 |
| 2007-08 | 872.35 | 232.42 | 23.42 | 0.00 | 4.20 | 260.04 | 1132.39 | 7.99 | 1222.86 | 90.48 | -194.93 |
| 2008-09 | 1222.86 | 73.58 | 5.49 | 0.00 | 6.75 | 85.82 | 1308.68 | 7.75 | 1410.11 | 101.42 | -311.25 |
| 2009-10 | 1410.11 | 697.83 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 707.01 | 2117.12 | 7.64 | 2278.86 | 161.75 | -505.96 |
| 2010-11 | 2278.86 | 31.78 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 32.15 | 2311.01 | 7.34 | 2480.64 | 169.63 | -172.58 |
| 2011-12 | 2480.64 | 44.00 | 100.52 | 0.00 | 3.40 | 147.92 | 2628.56 | 7.83 | 2834.38 | 205.82 | -35.39 |
| 2012-13 | 2834.38 | 518.41 | 25.00 | 0.00 | 2.20 | 545.61 | 3379.99 | 8.50 | 3667.29 | 287.30 | -53.95 |
| 2013-14 | 3667.29 | 259.91 | 10.00 | 0.00 | 4.59 | 274.50 | 3941.79 | 7.57 | 4240.18 | 298.39 | 289.80 |
| 2014-15 | 4240.18 | 330.82 | 1.00 | 158.86 | 6.25 | 179.21 | 4419.39 | 7.73 | 4761.01 | 341.62 | -179.42 |
| 2015-16 | 4761.01 | 208.94 | 8.00 | 0.00 | 22.85 | 239.79 | 5000.80 | 8.19 | 5410.37 | 409.57 | 94.96 |
| 2016-17 | 5410.37 | 130.10 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 147.06 | 5557.43 | 8.91 | 6052.59 | 495.17 | -203.35 |
| 2017-18 | 6052.59 | 53.15 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 116.16 | 6168.75 | 8.27 | 6678.91 | 510.16 | -236.69 |
| 2018-19 | 6678.91 | 194.03 | 0.00 | 0.00 | 234.02 | 428.05 | 7106.96 | 8.15 | 7686.17 | 579.22 | -578.67 |
| 2019-20 | 7686.17 | 133.34 | 0.00 | 0.00 | 222.90 | 356.24 | 8042.41 | 7.26 | 8626.29 | 583.88 | -208.34 |
| 2020-21 | 8626.29 | 147.58 | 0.00 | 0.00 | 214.51 | 362.09 | 8988.38 | 6.83 | 9602.29 | 613.91 | 24.68 |
| 2021-22 | 9602.29 | 107.81 | 0.00 | 0.00 | 202.01 | 309.82 | 9912.11 | 6.55 | 10561.35 | 649.24 | 185.73 |
| 2022-23 | 10561.35 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 166.15 | 299.42 | 10860.77 | 6.56 | 11573.24 | 712.47 | -1040.70 |
| **कुल** | | **3989.52** | **186.62** | **158.86** | **1186.38** | | | | | | |

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अन्त 2022-23 में रा सा क्षे उ में शेष निवेशित धनराशि का वर्ष 2001-02 में ₹ 55.95 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 10,860.77 करोड़ हो गया। राज्य सरकार ने इन रा सा क्षे उ में 2001-02 से 2022-23 की अवधि के दौरान परिचालन और प्रबन्धकीय व्ययों के लिए इक्विटी (₹ 3,951.77 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹ 186.62 करोड़) और अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,186.38 करोड़) के रूप में निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियों का पीवी ₹ 11,573.24 करोड़ थी। 2001-02 से 2022-23 के सभी वर्षों के दौरान, इन रा सा क्षे उ में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए कुल आय न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से नीचे रही।

## 5.8 रा सा क्षे उ की हानियाँ

### *5.8.1 वहन की गई हानियाँ*

सात कार्यरत रा सा क्षे उ थे जिन्हें उनके नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार हानि हुई। मार्च 2023 तक इन रा सा क्षे उ में राज्य सरकार का निवेश ₹ 2001.94 करोड़ (इक्विटी: ₹ 1785.43 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण: ₹ 216.51 करोड़) था। इन सात रा सा क्षे उ में से, एक रा सा क्षे उ अर्थात यू पी सी एल में राज्य सरकार का निवेश ₹ 1531.50 करोड़ (76.50 *प्रतिशत*) था। 2020-21 में नौ रा सा क्षे उ को ₹ 230.14 करोड़ की हानि की तुलना में 2022-23 में सात रा सा क्षे उ की हानि बढ़कर ₹ 1,272.90 करोड़ हो गई। एक विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ (यू पी सी एल) की हानि 2020-21 में ₹ 151.75 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,223.64 करोड़ हो गई, जैसा **तालिका-5.10** में नीचे दिया गया है।

**तालिका-5.10: 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानि वहन करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या**

***(₹ करोड़ में)***

| वर्ष | विवरण | हानि वहन करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या | वर्ष के लिए शुद्ध हानि | संचित हानि | निवल मूल्य[19] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 01 | (-)151.75 | (-)3851.01 | (-)2376.10 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 08 | (-)78.39 | (-)1550.37 | (-)1267.22 |
| | ***कुल*** | ***09*** | ***(-)230.14*** | ***(-)5401.38*** | ***(-)3643.32*** |
| 2021-22 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 01 | (-)21.42 | (-)3872.44 | (-)2382.53 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 06 | (-)50.04 | (-)1271.89 | (-)1007.13 |
| | ***कुल*** | ***07*** | ***(-)71.46*** | ***(-)5144.33*** | ***(-)3389.66*** |
| 2022-23 | विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ | 01 | (-)1223.64 | (-)5288.07 | (-)3758.16 |
| | अन्य रा सा क्षे उ | 06 | (-)49.26 | (-)1271.95 | (-)1007.19 |
| | ***कुल*** | ***07*** | ***(-)1272.90*** | ***(-) 6560.02*** | ***(-)4765.35*** |

***स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार***

2022-23 में, सात रा सा क्षे उ द्वारा वहन किए गए ₹ 1,272.90 करोड़ के कुल हानि में से, ₹ 1,223.64 करोड़ की हानि मात्र एक विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ (यू पी सी एल) द्वारा वहन की गई।

### *5.8.2 रा सा क्षे उ में पूंजी का क्षरण*

31 मार्च 2023 को, आठ रा सा क्षे उ की संचित हानि ₹ 6,892.07 करोड़ की थी जैसा ***परिशिष्ट-5.4*** में दिया गया है। इनमें से, छः रा सा क्षे उ को 30 सितम्बर 2023 तक नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार ₹ 1,264.97 करोड़ की हानि वहन हुई।

इन आठ में से छः रा सा क्षे उ का कुल निवल मूल्य, संचित हानि से पूर्ण रूप से क्षरण हो गया थी और उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। इन छः रा सा क्षे उ का निवल मूल्य पांच से 22 वर्षों की अवधि में ऋणात्मक रहा है। 31 मार्च 2023 तक इन छः रा सा क्षे उ के ₹ 1,796.68 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष कुल निवल मूल्य (-) ₹ 4,787.16 करोड़ था। छः रा सा क्षे उ में से, जिनकी पूंजी का क्षरण हो गया था दो[20] रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 22.83 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2023 तक छः में से पांच रा सा क्षे उ पर, ₹ 317.24 करोड़ का सरकारी ऋण बकाया था, जैसा कि **तालिका-5.11** में वर्णित है।

---

[19] निवल मूल्य = चुकता अंश पूँजी और मुक्त भंडार और अधिशेष कम संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय। मुक्त आरक्षित निधि का अर्थ है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से सृजित सभी आरक्षित राशियां लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यह्रास प्रावधान को वापस लिखने से सृजित भंडार शामिल नहीं हैं।

[20] किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

**तालिका-5.11: रा सा क्षे उ का विवरण जिनकी निवल संपत्ति उनके नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार क्षरण हो गई है**

***(₹ करोड़ में)***

| क्र. सं. | रा सा क्षे उ का नाम | खाते का वर्ष | कुल चुकता पूंजी | ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ (+)/(-) | संचित हानि | निवल मूल्य | अवधि, जब से निवल मूल्य ऋणात्मक रही है | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राज्य[21] सरकार की इक्विटी | 31 मार्च 2023 की स्थिति अनुसार राज्य[21] सरकार ऋण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2022-23 | 1529.91 | (-)1223.64 | (-)5288.07 | (-)3758.16 | 2001-02 | 1529.91 | 1.59 |
| 2 | डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड[22] | 2021-22 | 6.00 | (-)16.59 | (-)441.65 | (-)435.65 | 2002-03 | 6.00 | 127.99 |
| 3 | किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड[22] | 2021-22 | 17.99 | 20.26 | (-)294.40 | (-)276.41 | 2002-03 | 17.54 | 119.32 |
| 4 | उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड[22] | 2022-23 | 0.10 | (-)0.06 | (-)3.10 | (-)3.06 | 2018-19 | 0.10 | 0.00 |
| 5 | उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2020-21 | 4.08 | 2.57 | (-)24.84 | (-)20.76 | 2015-16 | 1.20 | 19.50 |
| 6 | उत्तराखण्ड परिवहन निगम | 2019-20 | 238.60 | (-)3.87 | (-)531.72 | (-)293.12 | 2003-04 | 229.36 | 48.84 |
| | ***महायोग*** | | ***1796.68*** | ***(-)1221.33*** | ***(-)6583.84*** | ***(-)4787.16*** | | ***1784.11*** | ***317.24*** |

***स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार***

## 5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

सी ए जी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। सी ए जी को पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी जारी करने या पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाले कानूनों के लिए आवश्यक है कि उनके लेखों की लेखा परीक्षा सी ए जी द्वारा की जाए और एक रिपोर्ट विधानमण्डल को प्रस्तुत की जाए।

## 5.10 सी ए जी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सी ए जी द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर की जानी होती है।

---

[21] ये आंकड़े प्रस्तर संख्या 5.4.1 में कुल निवेश के आंकड़ों का हिस्सा हैं।

[22] 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने देनदारियों/स्थापना व्ययों का भुगतान हेतु ₹ 106.16 करोड़ (डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड- ₹ 61.27 करोड़, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड- ₹ 36.39 करोड़ और उत्तराखंड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड - ₹ 8.50 करोड़) का अनुदान और सब्सिडी प्रदान की थी।

## 5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

### *5.11.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता*

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कामकाज तथा कार्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक[23] (ए जी एम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी चाहिए। इसके पश्चात शीघ्रातिशीघ्र, वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन या उसके पूरक प्रतिवेदन पर सी ए जी की टिप्पणीयों, के साथ विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की ए जी एम आयोजित करना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए जी एम की तारीख और अगली ए जी एम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 यह निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन न करने पर जिम्मेदार व्यक्तियों सहित कम्पनी के निदेशकों पर जुर्माना तथा कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान करती है।

विभिन्न रा सा क्षे उ के वार्षिक खाते 30 सितंबर 2023 तक लम्बित थे, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है।

### *5.11.2 रा सा क्षे उ द्वारा खातों की तैयारी की समय-सीमा*

31 मार्च 2023 तक, सी ए जी के लेखापरीक्षा के दायरे में 29 रा सा क्षे उ[24] थे। इनमें से वर्ष 2022-23 के लिए 29 रा सा क्षे उ से लेखे बकाया थे, जिनमें सात[25] परिसमापन के अधीन थे। हालांकि, वर्ष 2022-23 के लिए केवल पाँच रा सा क्षे उ ने 30 सितम्बर 2023 तक सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 24 रा सा क्षे उ के 282 लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-5.5*** में बताया गया है। रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत न किये गए लेखों का विवरण **तालिका-5.12** में दिया गया है।

---

[23] पहली ए जी एम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी *अर्थात्।* 30 सितंबर।

[24] पैराग्राफ 5.11.3 में चर्चा किए गए चार सांविधिक निगमों को छोड़कर।

[25] यू पी ए आई; उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (यू पी डी एल), के एम वी एन लिमिटेड की सहायक; कुम्ट्रॉन लिमिटेड (कुम्ट्रॉन), हिल्ट्रॉन की सहायक; उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (हिल्ट्रॉन), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (यू पी एच पी एल), हिल्ट्रॉन की सहायक; उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (यू पी एच क्यू एल), हिलट्रॉन की सहायक; गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (जी ए जे वी एन एल) गढ़वाल लिमिटेड की सहायक।

**तालिका-5.12: लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण**

| विवरण | | रा सा क्षे उ की संख्या | लेखों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 31.03.2023 तक सी ए जी के लेखापरीक्षा कम्पनियों की कुल संख्या | | 29 | -- |
| घटाएँ: नई कम्पनियाँ जिनसे 2022-23 के लेखे बकाया नहीं थे। | | 0 | 0 |
| कम्पनियाँ जिनके 2022-23 के लेखे बकाया थे। | | 29 | 29 |
| कम्पनियों की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए सी ए जी लेखापरीक्षा हेतु लेखों को प्रस्तुत किया। | | 5 | 5 |
| **बकाया वार्षिक लेखों की संख्या** | | 24 | 282 |
| बकाया लेखों का विवरण | (i) परिसमापन के अधीन | 07 | 152 |
| | (ii) निष्क्रिय | 02 | 59 |
| | (iii) अन्य | 15 | 71 |
| 'अन्य' श्रेणी के बकाया लेखों का वर्ष-वार विश्लेषण | एक वर्ष (2022-23) | 07 | 07 |
| | दो वर्ष (2021-22 और 2022-23) | 01 | 02 |
| | तीन वर्ष और उससे अधिक | 07 | 62 |

***स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड के कार्यालय में प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित।***

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि खातों को शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित रा सा क्षे उ के प्रबन्ध निदेशकों को पत्र लिखा जाएगा।

### *5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता*

चार[26] सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा सम्पादित की जाती है और इनमें से तीन[27] सांविधिक निगमों के लिए सी ए जी एकमात्र लेखापरीक्षक है। किसी भी सांविधिक निगम ने 30 सितम्बर 2023 से पहले वर्ष 2022-23 के लेखों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया। 30 सितम्बर 2023 तक, चार सांविधिक निगमों के दस लेखें बकाया थे।

## 5.12 सी ए जी का निरीक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

### *5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा*

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में, लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण[28] नाम दिया गया है, वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। सांविधिक निगमों को अपने लेखें सी ए जी के परामर्श से बनाए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखों से सम्बन्धित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के तहत निर्धारित प्रारूप में अपने लेखे तैयार करना आवश्यक है।

---

[26] उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

[27] उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

[28] 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी

### *5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा*

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सी ए जी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक निरीक्षण की भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित और प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। इस कार्य को निम्न शक्ति का उपयोग करके निर्वहन किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करें; और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी करें।

### *5.12.3 सरकारी कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा*

कम्पनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबन्धन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं तथा सी ए जी द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सी ए जी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा सी ए जी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

## 5.13 सी ए जी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

### *5.13.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा*

वर्ष 2022-23 और पूर्व वर्षों के 22 वित्तीय विवरण (वि वि) 14 रा सा क्षे उ से 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि में प्राप्त हुए थे। सी ए जी द्वारा

लेखापरीक्षा में 12[29] रा सा क्षे उ के 17 वित्तीय विवरण की समीक्षा की गई और तीन रा सा क्षे उ के पांच वित्तीय विवरण के लिए गैर समीक्षा प्रमाणपत्र (गै स प्र) जारी किये गये। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

### *5.13.2 सरकारी कम्पनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक के रूप में निर्गत सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां*

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 तथा पूर्व वर्षों के लिए वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के पश्चात, सी ए जी ने 12 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा सम्पादित की। इन वित्तीय विवरणों पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो लाभप्रदता पर ₹ 58.45 करोड़ और वित्तीय स्थिति- सम्पत्तियों/दायित्वों पर ₹ 147.61 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को दर्शाती हैं, ***परिशिष्ट-5.6*** व ***परिशिष्ट-5.7*** में दर्शाई गई है।

### *5.13.3 सांविधिक निगम जहां सी ए जी एकमात्र / अनुपूरक लेखापरीक्षक है*

सांविधिक निगमों, जिनमें सी ए जी एकमात्र/अनुपूरक लेखापरीक्षक है, के वित्तीय विवरणों पर सी ए जी द्वारा जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनमें लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति-सम्पत्तियों/दायित्वों पर ₹ 339.60 करोड़ का वित्तीय प्रभाव दर्शाया गया है, ***परिशिष्ट-5.8*** में दर्शाई गई है।

## 5.14 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, चार सांविधिक निगमों सहित 33 रा सा क्षे उ थे। 33 रा सा क्षे उ में से नौ रा सा क्षे उ निष्क्रिय हैं। रा सा क्षे उ ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया। 24 रा सा क्षे उ के 282 लेखे बकाया थे।

12 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित ₹ 232.20 करोड़ के कुल लाभ में तीन रा सा क्षे उ द्वारा 80.39 *प्रतिशत* का योगदान किया गया था। सात रा सा क्षे उ को हुई ₹ 1,272.90 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 1,223.64 करोड़ की हानि एक रा सा क्षे उ (यू पी सी एल) को हुई थी। 12 रा सा क्षे उ में से, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार लाभ अर्जित किया, केवल दो रा सा क्षे उ ने लाभांश घोषित किया।

## 5.15 संस्तुतियाँ

- ***राज्य सरकार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धन को अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रभावित कर सकती है। 24 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 282 खाते बकाया थे;***

[29] एक कम्पनी- किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहां शामिल है और रा.सा.क्षे.उ.में भी, जिसको गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया था क्योकि इस कम्पनी के वित्तीय विवरण वर्ष 2021-22 और 2022-23 के प्राप्त हुए थे। एक वित्तीय विवरण (2021-22) की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई और एक वित्तीय विवरण 2022-23 के लिए गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया।

- *राज्य सरकार द्वारा किए गए इक्विटी निवेश पर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए एक लाभांश नीति तैयार कर सकती है;*
- *नौ निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। नौ में से सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों परिसमापन के अधीन हैं और परिसमापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। सरकार उन दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में निर्णय ले सकती है जो काफी अवधि से निष्क्रिय हैं;*
- *राज्य सरकार उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हानियों के कारणों का विश्लेषण कर सकती है जिनमें निवल मूल्य का क्षरण हो गया है, उनकी दक्षता और लाभप्रदता बढाने के उपायों को लागू करके परिचालन जारी रखने का निर्णय ले सकती है।*

**देहरादून**
**दिनांक: 10 अप्रैल 2024**

**(प्रवीन्द्र यादव)**
**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),**
**उत्तराखण्ड**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली**
**दिनांक: 26 अप्रैल 2024**

**(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**